संख्या–4307/15–8–3338/88

प्रेषक,

श्रीमती नीरा यादव,
प्रमुख सचिव, शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (मा०)
   उ० प्र०, लखनऊ।
2. निदेशक (बेसिक शिक्षा)
   उ० प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–8 *लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2001*

विषय — प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वे०आ०–2–1262/दस–2001–53/2001, दिनांक 20 जुलाई, 2001 सपठित शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1432/दस–2001–53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०–2/1650/दस–2001–53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर–2(2) के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 01 जुलाई, 2001 को सेवारत थे अथवा इसके उपरान्त नियुक्त हुये हों, को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(क) बेसिक शिक्षा —

(1) प्राथमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुमन्य कराया जायेगा।

(2) चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण करने के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा।

(3) प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(4) उपरोक्त प्रक्रिया बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक प्राइमरी विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के सम्बन्ध में भी अपनायी जायेगी।

(5) यदि किसी वर्ष में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु पदों की संख्या कम होती है तथा अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों की अपने पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार सूची बनाकर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ध) माध्यमिक शिक्षा —

(1) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/प्रवक्ताओं को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(2) अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में तथा राजकीय विद्यालयों के एल०टी० शिक्षकों के लिए संबन्धित मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एवं राजकीय विद्यालयों के प्रवक्ताओं के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा। जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। इस संस्तुति के आधार पर संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी किये जायेंगे।

(3) शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत एल०टी० शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान उसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब एल०टी० शिक्षकों द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली गयी हो।

(4) हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

2. उपर्युक्तानुसार चयन/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के फलस्वरूप संबंधित शिक्षक का वेतन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायेगा—

(1) दिनांक 01–01–1996 को चयन/प्रोन्नत वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों का वेतन, शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1432/दस–2001–53/2001 दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1650/दस–2001–53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 जारी व्यवस्था के अधीन, सीधे संशोधित चयन/प्रोन्नत वेतनमान में निर्धारित किया जायेगा।

(2) दिनांक 01–01–1996 के बाद की तिथि से चयन वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, चयन वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) दिनांक 01–01–1996 के बाद की तिथि से संशोधित प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, चयन वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, प्रोन्नत वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(4) अवशेषों का भुगतान शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1432/दस–2001–53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 के प्रस्तर–2(2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1432/दस–2001–53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 के प्रस्तर–1(2) एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1650/दस–2001–53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर–2(2) को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय पत्र संख्या–ई–11–2299/दस–2001, दिनांक 20–12–2001 में प्राप्त हुई जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

ह०/–

(नीरा यादव)

प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–4307/15–8–3338/88

प्रेषक,

श्रीमती नीरा यादव,
प्रमुख सचिव, शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (मा०)
उ० प्र०, लखनऊ।

2. निदेशक (बेसिक शिक्षा)
उ० प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–8 | लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2001

विषय — प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वे०आ०–2–1262/दस–2001–53/2001, दिनांक 20 जुलाई, 2001 सपठित शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1432/दस–2001–53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०–2/1650/दस–2001–53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर–2(2) के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 01 जुलाई, 2001 को सेवारत थे अथवा इसके उपरान्त नियुक्त हुये हों, को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(क) बेसिक शिक्षा —

(1) प्राथमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुमन्य कराया जायेगा।

(2) चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण करने के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा।

(3) प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(4) उपरोक्त प्रक्रिया बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक प्राइमरी विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के सम्बन्ध में भी अपनायी जायेगी।

(5) यदि किसी वर्ष में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु पदों की संख्या कम होती है तथा अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों की अपने पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार सूची बनाकर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) माध्यमिक शिक्षा —

(1) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/प्रवक्ताओं को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(2) अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में तथा राजकीय विद्यालयों के एल०टी० शिक्षकों के लिए संबंधित मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एवं राजकीय विद्यालयों के प्रवक्ताओं के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा। जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। इस संस्तुति के आधार पर संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी किये जायेंगे।

(3) राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत एल०टी० शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान उसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब एल०टी० शिक्षकों द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली गयी हो।

(4) हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

2. उपर्युक्तानुसार चयन/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के फलस्वरूप संबंधित शिक्षक का वेतन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायेगा—

(1) दिनांक 01-01-1996 को चयन/प्रोन्नत वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों का वेतन, शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/दस-2001-53/2001 दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1650/दस-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 जारी व्यवस्था के अधीन, सीधे संशोधित चयन/प्रोन्नत वेतनमान में निर्धारित किया जायेगा।

(2) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से चयन वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, चयन वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से संशोधित प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, चयन वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, प्रोन्नत वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(4) अवशेषों का भुगतान शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/दस-2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 के प्रस्तर-2(2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/दस-2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 के प्रस्तर-1(2) एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1650/दस-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर-2(2) को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय पत्र संख्या-ई-11-2290/दस-2001, दिनांक 20-12-2001 में प्राप्त हुई जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

ह०/-

(नीरा यादव)

प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– बे0शि0प0/ 16850 /2024–25 दिनांक– 09-1-2025

विषय :– प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करें जो परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 4307/15–8–3038/99 दिनांक 20.12.2001 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक दिये जाने के प्राविधान हैं।

उक्त के सम्बन्ध में विगत पॉच वर्षो में आपके जनपद में कितने अध्यापकों को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रारुप पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रारुप :–

जनपद का नाम	चयन वेतनमान		प्रोन्नत वेतनमान	
	कुल प्राप्त संदर्भ	चयन वेतनमान स्वीकृत संख्या	कुल प्राप्त संदर्भ	प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत संख्या

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव,
उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

3– विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के लिए चयन वेतनमान एवं प्रदोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराने की प्रक्रिया शासनादेश संख्या–4307/15–8–3038/99, दिनांक 20–12–2001 एवं इसी क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुसार होगी।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– वे0आ0–02–448/X-2018, दिनांक 23–7–2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5– वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0।
8– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–11/ वित्त (आय–व्ययक) अनु0–2/नियोजन अनु0–4
9– वित्त (वेतन आयोग) अनु0–1 एवं 2, उ0प्र0 शासन।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र सिंह)
उप सचिव।

Raj-Letter-1505.doc

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-964 /68-5-2018

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2018

विषय:-सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षण पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत शिक्षकों को चयन/प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-बे0शि0प0/ले0सं0/वेतन/9544/2017-18, दिनांक 6-11-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश सं0-67/2016/वे0 आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22-12-2016 निर्गत किया गया है, जिसमें चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था नहीं दी गयी है। अतः उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने पर संबंधित शिक्षक का वेतन अनुमन्यता की तिथि को मैट्रिक्स लेवल में प्राप्त हो रहे मूल वेतन की धनराशि में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान हेतु अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल में उपलब्ध ठीक अगली कोष्ठिका की धनराशि के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

उदाहरण स्वरूप मैट्रिक्स लेवल-6 का शिक्षक जो चयन वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि को मूल वेतन के रूप में रू0 46200/- प्राप्त कर रहा था, उसे चयन वेतनमान के रूप में लेवल-7 अनुमन्य होने पर उसका मूल वेतन लेवल-7 में रू0 47600/- के स्तर पर निर्धारित होगा। इसी प्रकार लेवल-7 के शिक्षक को पदोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि को मूल वेतन के रूप में रू0 60400/- प्राप्त हो रहा था, उसे पदोन्नति वेतनमान में लेवल-8 अनुमन्य होने पर उसका मूल वेतन लेवल-8 में रू0 62200/- के स्तर पर निर्धारित होगा।

2/..

Raj-Letter-1505.doc

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–964 /68–5–2018

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 21 अगस्त, 2018

विषयः–सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षण पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत शिक्षकों को चयन/प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–बे0शि0प0/ले0सं0/वेतन/9544/2017–18, दिनांक 6–11–2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश सं0–67/2016/वे0 आ0–2–1447/दस–04(एम)/2016, दिनांक 22–12–2016 निर्गत किया गया है, जिसमें चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था नहीं दी गयी है। अतः उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

. दिनांक 01–01–2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने पर संबंधित शिक्षक का वेतन अनुमन्यता की तिथि को मैट्रिक्स लेवल में प्राप्त हो रहे मूल वेतन की धनराशि में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान हेतु अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल में उपलब्ध ठीक अगली कोष्ठिका की धनराशि के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

उदाहरण स्वरूप मैट्रिक्स लेवल–6 का शिक्षक जो चयन वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि को मूल वेतन के रूप में रू0 46200/– प्राप्त कर रहा था, उसे चयन वेतनमान के रूप में लेवल–7 अनुमन्य होने पर उसका मूल वेतन लेवल–7 में रू0 47600/– के स्तर पर निर्धारित होगा। इसी प्रकार लेवल–7 के शिक्षक को पदोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि को मूल वेतन के रूप में रू0 60400/– प्राप्त हो रहा था, उसे पदोन्नति वेतनमान में लेवल–8 अनुमन्य होने पर उसका मूल वेतन लेवल–8 में रू0 62200/– के स्तर पर निर्धारित होगा।

2/..

Scanned with OKEN Scanner

(घ) माध्यमिक शिक्षा —

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों/प्रवक्ताओं को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(2) अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में तथा राजकीय विद्यालयों के एल०टी० शिक्षकों के लिए संबंधित मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एवं राजकीय विद्यालयों के प्रवक्ताओं के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा। जो शिक्षकों की पात्रता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। इस संस्तुति के आधार पर संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी किये जायेंगे।

(3) राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत एल०टी० शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान उसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब एल०टी० शिक्षकों द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली गयी हो।

(4) हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

2. उपर्युक्तानुसार चयन/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के फलस्वरूप संबंधित शिक्षक का वेतन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायेगा—

(1) दिनांक 01-01-1996 को चयन/प्रोन्नत वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों का वेतन, शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/दस-2001-53/2001 दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1650/दस-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित चयन/प्रोन्नत वेतनमान में निर्धारित किया जायेगा।

(2) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से चयन वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, चयन वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, चयन वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, प्रोन्नत वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(4) अवशेषों का भुगतान शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/दस-2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 के प्रस्तर-2(2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/दस-2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 के प्रस्तर-1(2) एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1650/दस-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर-2(2) को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से उनके अशासकीय पत्र संख्या-ई-11-2230/दस-2001, दिनांक 20-12-2001 में प्राप्त हुई जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०/-

(नीरा यादव)

प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-4307/15-8-3338/00

प्रेषक,

श्रीमती नीरा यादव,
प्रमुख सचिव, शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (मा०)
उ० प्र०, लखनऊ।
2. निदेशक (बेसिक शिक्षा)
उ० प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-8 लखनऊ : दिनांक 20 सितम्बर, 2001

विषय — प्रदेश की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1202/दस-2001-53/2001, दिनांक 23 जुलाई, 2001 सपठित शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/दस-2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2/1650/दस-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर-2(2) के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय सम्यक् विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 01 जुलाई, 2001 को सेवारत थे अथवा इसके उपरान्त नियुक्त हुये हों, को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(क) बेसिक शिक्षा —

(1) प्राथमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुमन्य कराया जायेगा।

(2) चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण करने के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा।

(3) प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(4) उपरोक्त व्यवस्था बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक प्राइमरी विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के सम्बन्ध में भी अपनायी जायेगी।

(5) यदि किसी वर्ग में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु पदों की संख्या कम होती है तथा अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों की अपने पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार सूची बनाकर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ध) माध्यमिक शिक्षा —

(1) माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों/प्रधानाचार्यों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(2) अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक मण्डल में एक-एक जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में तथा राजकीय विद्यालयों के एल०टी० शिक्षकों के लिए संबंधित मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एवं राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा। जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। इस संस्तुति के आधार पर संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी किये जायेंगे।

(3) शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत एल०टी० शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान उसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब एल०टी० शिक्षकों द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली गयी हो।

(4) हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

2. उपर्युक्तानुसार चयन/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के फलस्वरूप संबंधित शिक्षक का वेतन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायेगा—

(1) दिनांक 01-01-1996 को चयन/प्रोन्नत वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों का वेतन, शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/दस-2001-53/2001 दिनांक 09 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1650/दस-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 जारी व्यवस्था के अधीन, सीधे सम्बन्धित चयन/प्रोन्नत वेतनमान में निर्धारित किया जायेगा।

(2) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से चयन वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, चयन वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, चयन वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, प्रोन्नत वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(4) अवशेषों का भुगतान शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/दस-2001-53/2001, दिनांक 09 अगस्त, 2001 के प्रस्तर-2(2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/दस-2001-53/2001, दिनांक 09 अगस्त, 2001 के प्रस्तर-1(2) एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1650/दस-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर-2(2) को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय पत्र संख्या-ई-11-2293/दस-2001, दिनांक 20-12-2001 में प्राप्त हुई जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

ह०/-

(नीरा यादव)

प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-430?/15-8-3338/00

प्रेषक,

श्रीमती नीरा यादव,
प्रमुख सचिव, शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (मा०)
उ० प्र०, लखनऊ।

2. निदेशक (बेसिक शिक्षा)
उ० प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-8 लखनऊ : दिनांक 20 सितम्बर, 2001

विषय — प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1202/दस-2001-53/2001, दिनांक 23 जुलाई, 2001 सपठित शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/दस-2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2/1860/दस-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर-2(2) के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय सम्यक् विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 01 जुलाई, 2001 को सेवारत थे अथवा इसके उपरान्त नियुक्त हुये हों, को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(क) बेसिक शिक्षा —

(1) प्राथमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुमन्य कराया जायेगा।

(2) चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण करने के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा।

(3) प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(4) उपरोक्त व्यवस्था बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक प्राइमरी विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के सम्बन्ध में भी अपनायी जायेगी।

(5) यदि किसी वर्ष में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु पदों की संख्या कम होती है तथा अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों की उनके पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार सूची बनाकर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(3) किसी भी वर्ष 01 जुलाई को प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों की कुल संख्या चयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी वर्ष विशेष में पूर्व से प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की संख्या चयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो उसे कम न किया जाये किन्तु नये पात्र शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान तभी उपलब्ध कराया जाये जब चयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा में रिक्ति उपलब्ध हो। उदाहरण स्वरूप किसी संवर्ग विशेष में निम्न स्थिति हो सकती है –

वर्ष	चयन वेतनमान में पद धारकों की संख्या	प्रोन्नत वेतनमान हेतु अर्ह शिक्षकों की संख्या	टिप्पणी
1996	1000	200	–
1997	800+100 नये शिक्षक =900	180	जिन्हें 1996 में प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य था उसे यथावत रखा जाय किन्तु किसी भी नये शिक्षक को प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य न कराया जाय।
1998	900+200 नये शिक्षक = 1100	220	यदि 1996 के उपर्युक्त 200 शिक्षक अब भी प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं तो मात्र 20 शिक्षकों को ही प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जाये।
1999	880+250 नये शिक्षक =1130	226	यदि 1998 के उपर्युक्त 220 शिक्षक को अब भी प्रोन्नत वेतनमान दिया जा रहा है तो मात्र 6 शिक्षकों को और प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जा सकता है। किन्तु यदि प्रोन्नति वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षक की सेवा निवृत्त अथवा मृत्यु आदि के कारण से प्रोन्नत वेतनमान में रिक्ति होती है तो उस संख्या तक नये अर्ह शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जा सकता है

2. शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के अनुसार अनुमन्य चयन/प्रोन्नत वेतनमान उन्हीं शिक्षकों को अनुमन्य होगा जो: दिनांक 1–7–2001 अथवा बाद की तिथि में सेवारत हों। अतः चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के निर्धारण हेतु संख्या की गणना में उन्हीं शिक्षकों को सम्मिलित किया जायेगा जो दिनांक 1–7–2001 तथा उसके बाद की तिथियों में सेवारत रहे हैं।

3. कृपया उपर्युक्तानुसार शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4. यह शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय सं0 यू0ओ0 वे0आ0 2–75/10–2003 दिनांक 18–2–2003 में प्राप्त हुई, जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

ह0/– सत्यजीत ठाकुर

सचिव।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रोन्नत वेतनमान

संख्या 79/79/5-2003-57/2003

सेवा में,

सत्यजीत ठाकुर,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2003

विषय : प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या वेतन निर्धारण/7115-19/2002-2003 दिनांक 28 अगस्त, 2002 के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि शासनादेश संख्या 4307/15-8-3038/99, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के प्रस्तर (1) में बेसिक [illegible] के शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये :-

(1) बेसिक शिक्षा परिषद के नगर/ग्रामीण क्षेत्रों के चयन, वेतनमान पद धारक सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वरिष्ठता क्रम में प्रत्येक वर्ष के 1 जुलाई, के आधार पर पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूची तैयार की जाये।

(2) चयन वेतनमान पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा एक ऐसे अध्यापकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जाय जिन्होंने चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– बे0शि0प0/ 16850 /2024–25 दिनांक– 09-1-2025

विषय :– प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करें जो परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 4307/15–8–3038/99 दिनांक 20.12.2001 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक दिये जाने के प्राविधान हैं।

उक्त के सम्बन्ध में विगत पॉच वर्षो में आपके जनपद में कितने अध्यापकों को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रारुप पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रारुप :–

जनपद का नाम	चयन वेतनमान		प्रोन्नत वेतनमान	
	कुल प्राप्त संदर्भ	चयन वेतनमान स्वीकृत संख्या	कुल प्राप्त संदर्भ	प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत संख्या

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव,
उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

सचिव,
उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– बे०शि०प०/ 16850 /2024–25 दिनांक– 09-1-2025

विषय :– प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करें जो परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 4307/15–8–3038/99 दिनांक 20.12.2001 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक दिये जाने के प्राविधान हैं।

उक्त के सम्बन्ध में विगत पॉच वर्षो में आपके जनपद में कितने अध्यापकों को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रारुप पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रारुप :–

जनपद का नाम	चयन वेतनमान		प्रोन्नत वेतनमान	
	कुल प्राप्त संदर्भ	चयन वेतनमान स्वीकृत संख्या	कुल प्राप्त संदर्भ	प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत संख्या

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव,
उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रोन्नत वेतनमान

संख्या 79/79/5-2003-67/2003

प्रेषक,

सत्यजीत ठाकुर,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2003

विषय : प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या लेखा निर्धारण/7115-19/2002-2003 दिनांक 28 अगस्त, 2002 के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि शासनादेश संख्या 4307/15-8-3038/99, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के प्रस्तर (1) में बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये :-

(1) बेसिक शिक्षा परिषद के नगर/ग्रामीण क्षेत्रों के चयन, वेतनमान पद धारक सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वरिष्ठता क्रम में प्रत्येक वर्ष के 1 जुलाई के आधार पर पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूची तैयार की जाये।

(2) चयन वेतनमान पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा एक ऐसे अध्यापकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जाय जिन्होंने चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।

(3) किसी भी वर्ष 01 जुलाई को प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों की कुल संख्या चयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी वर्ष विशेष में पूर्व से प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की संख्या चयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो उसे कम न किया जाये किन्तु नये पात्र शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान तभी उपलब्ध कराया जाये जब चयन वेनतमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा में रिक्ति उपलब्ध हो। उदाहरण स्वरूप किसी संवर्ग विशेष में निम्न स्थिति हो सकती है –

वर्ष	चयन वेतनमान में पद धारकों की संख्या	प्रोन्नत वेतनमान हेतु अर्ह शिक्षकों की संख्या	टिप्पणी
1996	1000	200	–
1997	800+100 नये शिक्षक =900	180	जिन्हें 1996 में प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य था उसे यथावत रखा जाय किन्तु किसी भी नये शिक्षक को प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य न कराया जाय।
1998	900+200 नये शिक्षक = 1100	220	यदि 1996 के उपर्युक्त 200 शिक्षक अब भी प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं तो मात्र 20 शिक्षकों को ही प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जाये।
1999	880+250 नये शिक्षक =1130	226	यदि 1998 के उपर्युक्त 220 शिक्षक को अब भी प्रोन्नत वेतनमान दिया जा रहा है तो मात्र 6 शिक्षकों को और प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जा सकता है। किन्तु यदि प्रोन्नति वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षक की सेवा निवृत्त अथवा मृत्यु आदि के कारण से प्रोन्नत वेतनमान में रिक्ति होती है तो उस संख्या तक नये अर्ह शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जा सकता है

2. शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के अनुसार अनुमन्य चयन/प्रोन्नत वेतनमान उन्हीं शिक्षकों को अनुमन्य होगा जो, दिनांक 1–7–2001 अथवा बाद की तिथि में सेवारत हों। अतः चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के निर्धारण हेतु संख्या की गणना में उन्हीं शिक्षकों को सम्मिलित किया जायेगा जो दिनांक 1–7–2001 तथा उसके बाद की तिथियों में सेवारत रहे हों।

3. कृपया उपर्युक्तानुसार शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4. यह शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय सं0 यू0ओ0 वे0आ0 2–75/10–2003 दिनांक 18–2–2003 में प्राप्त हुई, जारी किये जा रहे है।

भवदीय

ह0/- सत्यजीत ठाकुर

सचिव।

Scanned with OKEN Scanner